

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

78

मिसल नम्बर
56/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा
13.09.2019

सुखराम खोखर
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
03.01.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री राजेन्द्र साहू पुत्र मूलचन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स हरदेव सूरजमल तेली अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोक राज0 निवासी वार्ड नं0 7 तेली मोहल्ला देवली जिला टोक राज0
- 2- मैसर्स हरदेव सूरजमल तेली अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोक राज0
- 3-श्रीमति किरण मालू पत्नि मुकेश मालू प्रोपरायटर मैसर्स किरण सेल्स बस स्टैण्ड के पीछे जनता कॉलोनी देवली जिला टोक राज0
- 4- मैसर्स किरण सेल्स बस स्टैण्ड के पीछे जनता कॉलोनी देवली जिला टोक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 03.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.06.2019 को समय 5.15 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स हरदेव सूरजमल तेली अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से राजेन्द्र साहू पुत्र मूलचन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स हरदेव सूरजमल तेली अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोक राज0 निवासी वार्ड नं0 7 तेली मोहल्ला देवली जिला टोक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे चाय श्री कमल पॉली पैक(Tea Shree Kamal Poly pack) जिसके बैच नं. ए.बी. व

999

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट



पैकिंग दिनांक जून 2019 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर गिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेन्द्र साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 250-250 ग्राम के 8 पैकट चाय श्री कमल पॉली पैक (Tea Shree Kamal Poly pack) रखे हुये में से 250-250 ग्राम के 8 पैकट वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र साहू को ₹0 450/- अक्षरे चार सौ पचास रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा चाय श्री कमल पॉली पैक (Tea Shree Kamal Poly pack) 250-250 ग्राम के पैकटों को बराबर-बराबर (एक भाग 2-2 पैकट) अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में अलग-अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2211 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2211 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. राजेन्द्र साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री राजेन्द्र साहू ने मौके पर चाय श्री कमल पॉली पैक (Tea Shree Kamal Poly pack) बतोर वारन्टी मैसर्स किरण रोल्स बस स्टैण्ड के पीछे जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0का बिल/इन्चॉइस 2072 दिनांक 27.06.2019 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1868 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1532/एक्ट/2019/1065 दिनांक 09.07.2019 अनुसार राजेन्द्र साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय श्री कमल पॉली पैक (Tea Shree Kamal Poly

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1006



pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3 (1)(zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का नमकीन कृष्णा पॉली पैक(Namkeen Krishna Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस चाय श्री कमल पॉली पैक(Tea Shree Kamal Poly pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया चाय श्री कमल पॉली पैक(Tea Shree Kamal Poly pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री राजेन्द्र साहू पुत्र मूलचन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स हरदेव सूरजमल तेली अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोक राज0 निवासी वार्ड नं0 7 तेली मोहल्ला देवली जिला टोक राज0पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति किरण मालू पत्नि मुकेश मालू प्रोपरायटर मैसर्स किरण सेल्स बस स्टैण्ड के पीछे जनता कॉलोनी देवली जिला टोक राज0पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित गद में निर्णय दिनांक 03.01.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

